पत्रांकः– वन भूमि–89 / 2020..... / प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

मोख्तारूल हक,
परामर्शी।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची–834002

पटना–15, दिनांक.....

विषय :– लखीसराय एवं मुंगेर जिलान्तर्गत मोकामा–मुंगेर पथ किनारे इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि० द्वारा सिटी गैस वितरण परियाजना अंतर्गत CNG and PNG पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2.5591 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव "मुख्य महाप्रबंधक (निर्माण), इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि०, पटना द्वारा समर्पित किया गया है, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण), बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयांकित पथ बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन विभाग की अधिसूचना संख्या–921(ई०) दिनांक–28.08.1997 के अंतर्गत "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, परन्तु भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित परियोजना में 2.5591 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्तावित है तथा परियोजना निर्माण के क्रम में वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा। विषयांकित अपयोजन प्रस्ताव हेतु वानस्पतिक घनत्व 0 (शून्य) अंकित किया गया है।

लखीसराय जिला में अपयोजित होने वाली 1.7916 हे० वनभूमि के लिए जिला पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा FRA, 2006 प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। मुंगेर जिलान्तर्गत अपयोजित होने वाल वनभूमि के लिए FRA, 2006 प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–11–43 / 2013–FC दिनांक–26.02.2019 के आलोक में सैद्धांतिक स्वीकृति के अनुपालन के समय आलोच्य FRA, 2006 प्रमाण–पत्र उपलब्ध करा दिया जायेगा।

प्रस्तावित अपयोजन प्रस्ताव के लिए तत्संबंधी टोपो सीट एवं Geo-referenced Map संलग्न है। विषयांकित प्रस्ताव में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का अनुशंसा प्रपत्र–II के रूप में एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव के अनुशंसा की गयी है, जिसका अनुमोदन प्रपत्र–III के रूप में एवं नोडल पदाधिकारी द्वारा की गयी अनुशंसा प्रपत्र IV के रूप में संलग्न है।

परियोजना निर्माण के क्रम में वृक्षों का पातन प्रस्तावित नहीं होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–FC-11/165/2019-FC दिनांक–27.07.2020 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण की अनुशंसा प्रस्ताव के साथ नहीं किया गया है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 2.5591 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 16,01,997/–(सोलह लाख एक हजार नौ सौ संतानवे रूपये) मात्र की 50% राशि रू० 8,00,998/– (आठ लाख नौ सौ अनठानवे रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह०/–
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

ज्ञापांक :– वन भूमि–89/2020...................../प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक...

प्रतिलिपि :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/मुख्य महाप्रबंधक (निर्माण), इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

ज्ञापांक :– वन भूमि–89/2020 1080 /प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक 16/09/2020

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट–2 उपलब्ध कराया जाय।

11/9/2020
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

VR S One-156